

# भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं का संक्षिप्त मूल्यांकन

Dr. Mohd Javed

सार-

भारत प्राचीनकाल से ही विश्वगुरु रहा है। अपने उच्च स्तरीय शिक्षा स्थलों जैसे नालन्दा, तक्षशिला आदि के बल पर इसकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। शिक्षा स्थल ही वो केन्द्र बिंदु है जहाँ से राष्ट्र का निर्माण और विनाश दोनों ही सम्भव हो सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है। जिसमें 2 लाख सुझावों का सहारा लिया गया है। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया है बल्कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं व चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को 2035 तक 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाना है। उच्च शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। देश में 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति आई है जो शोधपरक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। सरकार का यह प्रयास है कि 45 हजार से अधिक महाविद्यालयों और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया जाए। सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए। नई नीति का विजन ही ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जगह मिले। शिक्षा प्रणाली में इण्डिया की जगह भारत की झलक मिले। उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा जो खर्च किया रहा है उसे अधिक तार्किक एवं लक्ष्य केन्द्रित बनाने की जरूरत है।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और यह नीति 2020 भारत को बदलने में सीधे प्रकार से योगदान प्रदान करती है और भारतीय लोकाचार में निहित शिक्षा प्रणाली को देखती है। इसका उद्देश्य धर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना, सभी को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान मंच प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के समान पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को, छात्रों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना

पैदा करनी चाहिए और संवैधानिक मूल्यों, अपने देश और एक बदलती दुनिया के साथ एक संबंध पैदा करना चाहिए। इस नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मूल्यों और दृष्टिकोणों में भी विकास करना है, जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन का समर्थन करते हैं और वैश्विक कल्याण के लिए एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबिंबित होता है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट, विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवृत्ति के हों। यह एक व्यक्ति को रुचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत, तकनीकी, व्यावसायिक विषयों सहित क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन करने और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा भावना और 21 वीं सदी के कौशल को आवश्यक सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाती है। नई शिक्षा नीति वर्तमान प्रणाली में कुछ मौलिक परिवर्तन लाती है, और इसमें मुख्य आकर्षण बहु-विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, जिसमें प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक छात्र पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, बेहतर छात्र अनुभव के लिए मूल्यांकन और समर्थन, एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उत्कृष्ट सहकर्मी-समीक्षा कार्य और प्रभावी ढंग से बीज अध्ययन का समर्थन करेगी।

नई शिक्षा नीति 2020 पांच स्तंभों पर केंद्रित है: वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता और जवाबदेही – निरंतर सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए। इसे समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के रूप में नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे नियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 में सूचीबद्ध पूर्ण और उत्पादक रोजगार और अच्छे काम की ओर अग्रसर होना, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है और 2040 तक भारत में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों को बदलने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए तैयार करती हैं जिससे वो नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस प्रकार, नई शिक्षा नीति बहु-विषयकता, डिजिटल साक्षरता, लिखित संचार, समस्या-समाधान, तार्किक तर्क और व्यावसायिक प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है।

### अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है तथा नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का विश्लेषण करना है। इसके अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- नई शिक्षा नीति 2020 को पेश करना।
- नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं को देखना।
- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को दर्शाने लिए।
- शिक्षा पर राज्य के खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 4 से बढ़ाकर 6 करने की एक झलक देने के लिए।

### अनुसंधान क्रियाविधि

यह अध्ययन पाठ्य, आलोचनात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग करते हुए प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 के संपूर्ण अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें एमएलए हैंडबुक ऑफ रिसर्च के 8वें संस्करण का सख्ती से पालन किया गया है।

### डेटा संग्रह

शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आँकड़ों का संकलन किया गया है जिसके आधार पर सम्पूर्ण प्रपत्र का विश्लेषण किया गया है।

### प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक संसाधन नई शिक्षा नीति 2020 के मूल पाठ से एकत्र किए गए हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।

### माध्यमिक स्रोत

एक माध्यमिक संसाधन एक स्रोत है जो नई शिक्षा नीति 2020 पर संदर्भ पुस्तकों सहित पुरानी या गैर-मूल जानकारी प्रदान करता है। माध्यमिक स्रोतों में जीवनी, लेखक के कार्यों के महत्वपूर्ण अध्ययन, शोध पत्र और शोध प्रबंध, शोध पुस्तकें, व्यक्तिगत साक्षात्कार, विकिपीडिया, ब्रिटानिका और अन्य वेबसाइटें शामिल हैं।

### अध्ययन का महत्व

वास्तविक तथ्यों पर आधारित इस अध्ययन के निष्कर्ष समाज के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अध्ययन क्षेत्र में पूर्व अनुसंधान की कमी के कारण यह शोध मॉडल इस अध्ययन के लिए प्रस्तावित है। शोधकर्ता इस वर्तमान अध्ययन के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करेगा। वर्तमान शोध नई शिक्षा नीति 2020 के नियम एवं शर्तों के अनुसार उच्च शिक्षा के सुधारों को समझने में मदद करेगा। यह शोध नई शिक्षा



नीति 2020 के बारे में पाठकों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगा। यह संदर्भ सामग्री भी तैयार करेगा और आगे के अध्ययन के लिए गुंजाइश प्रदान करेगा।

### साहित्य की समीक्षा

गंगवाल सुभाष 2020 ने लिखा है कि 21वीं सदी ज्ञान प्रधान सदी है जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी विकास परिवर्तन के प्रमुख आधार है। किसी भी देश, समाज और परिवार को विकसित, समृद्ध एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए शिक्षा को महत्व देना होगा। भारत में शिक्षा केन्द्र एवं राज्यों का विषय है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय हित में शिक्षा का मसौदा तैयार करती है, जिसका अनुमोदन संसद द्वारा लिया जाता है लेकिन राज्यों की विधान सभाओं को भी विचार विमर्श, बहस के माध्यम से अनुमति प्रदान करनी होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है। जिसमें 2 लाख सुझावों का सहारा लिया गया है। नीति का मसौदा निर्माण डॉ. कस्तुरी रंगन की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया गया है ताकि पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सके। देश में एक सी शिक्षा नीति के लक्ष्य को भी ध्यान में रखा गया है। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया है बल्कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं व चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को 2035 तक 26.3 प्रतिशत (वर्तमान में) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाना है। उच्च शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ती जा रही है। शिक्षा महंगी हो रही है। सरकारी शिक्षा में बजट कम हो रहा है, ऐसे में नई नीति किस तरह से देश एवं युवाओं के लिए मददगार होगी यह अभी भविष्य के गर्त में है।

प्रो. शर्मा के. एल. 2020 ने अपने लेखपत्र में लिखा है कि शिक्षा से सशक्त और सविमर्शी समाज बनाया जा सकता है लेकिन शिक्षा इतनी गुणवत्तापरक हो कि मनुष्य खुद को स्वतंत्र, रचनात्मक और नैतिक दृष्टि से दृढ़ समझ सके। शिक्षा परिवर्तन और सशक्तिकरण का साधन है। एस. राधाकृष्ण आयोग 1948, डी.एस. कोठारी आयोग 1964, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अध्यापक राष्ट्रीय आयोग 1983, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 1999 और अनेक शिक्षा नीतियों के विचारों से बढ़कर क्या यह शिक्षा नीति है? अब तक कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा की दशा एवं दिशा की व्याख्या समावेशी मानी गई है। क्या वर्तमान शिक्षा नीति इससे भी व्यापक और गहन है? नीति आयोग के अनुसार नई नीति द्वारा प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली द्वारा नए भारत का निर्माण संभव होगा। नई नीति में प्रारम्भिक स्तर से उच्च स्तर तक संतुलित शिक्षा से सबको विकास का अवसर मिलेगा। परन्तु नई शिक्षा नीति में शिक्षक और विद्यार्थी की दूषित स्थिति से निपटने पर यह नीति मौन है, इस पर किसी प्रकार की विवेचना का अभाव है।

सिंह दुर्गेश 2020 ने अपने लेख पत्र में लिखा है कि भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था त्रीस्तरीय है जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल है। यह शिक्षा व्यवस्था शिक्षित लेकिन रोजगार विहिन युवाओं को तैयार करती है। जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर के कुशल एवं दक्ष युवा

तैयार करने में सक्षम नहीं है। सरकार को इसके लिए शिक्षा में निवेश करना होगा। यद्यपि सरकार ऐसा कर भी रही है। देश में 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति आई है जो शोधपरक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। सरकार का यह प्रयास है कि 45 हजार से अधिक महाविद्यालयों और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया जाए। सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए।

देश में पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा एवं संरक्षा की गई। न्यायालयों ने समय समय पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विषय पर अपनी व्याख्या की है परन्तु राज्य सरकारों द्वारा इसका क्रियान्वयन अभी भी बेहतर तरीके से किया जाना शेष है। आजादी के बाद भारतीय शिक्षा ढाँचें में यह तीसरा बड़ा बदलाव है। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पुरानी नीतियों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसमें सबको शिक्षा देने का लक्ष्य पूरा होगा। नई नीति ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें 2030 के विकास एजेंडे को ध्यान में रखा गया है। इसमें उच्चतर शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया गया है। जिसमें सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। एक नई राष्ट्रीय एजेंसी का गठन किया जाएगा जो उच्च स्तरीय शिक्षा में टेस्टिंग एजेंसी का काम करेगी।

नई नीति का विजन ही ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जगह मिले। शिक्षा प्रणाली में इण्डिया की जगह भारत की झलक मिले। इसका उद्देश्य ऐसी समतावादी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली बनाना है जिससे एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो। इसमें प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक ज्ञान को शामिल किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण आदि सब को शामिल किया गया है। इस नीति में सभी विद्यार्थियों को चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी होगी। हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर अधिक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस नीति के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

- हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना।
- बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना।
- शिक्षा में लचीलापन लाना ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने की आजादी हों।
- कला एवं विज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर गतिविधियों में, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में विरोध एवं अलगाव की भावना नहीं हो।
- एक बहु विषयक और समग्र शिक्षा का विकास करना।

- अवधारणात्मक सोच का विकास करना न कि रटंत एवं परीक्षा की पढ़ाई पर जोर।
- रचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास करना ताकि नवाचारों को प्रोत्साहन मिले।
- नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना।
- बहुभाषा शिक्षा प्रणाली अपनाना ताकि अध्ययन-अध्यापन कार्य में भाषा की शक्ति को पहचान मिल सके।
- जीवन कौशल अर्थात् आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना।
- सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना न कि परीक्षा को महत्व देना ताकि कोचिंग संस्कृति का विनाश हो सके।
- शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए तकनीक पर जोर देना।
- विविधता और स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना।
- सभी शैक्षणिक निर्णयों में पूर्ण क्षमता और समावेशन को ध्यान में रखना।
- विद्यालय से महाविद्यालय शिक्षा तक सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में तालमेल एवं सामंजस्य बिठाना।
- शिक्षकों एवं संकाय को सीखने का केंद्र मानते हुए इनकी भर्ती आदि हेतु उन्नत सुविधाओं का विकास करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर के शोध का विकास करना।
- भारतीय परम्पराओं एवं गौरव का विकास करना। देश की प्राचीन एवं आधुनिक संस्कृति, ज्ञान एवं परम्पराओं का समावेश करना।
- शिक्षा को सार्वजनिक सेवा मानते हुए इसे प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाए। इस हेतु आवश्यक प्रयास करना।
- मजबूत और जीवंत शिक्षा प्रणाली हेतु शिक्षा में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

सभी पाठ्यक्रमों में सुधार प्रारम्भ से ही किया जाएगा। शिक्षा के व्यावसायिकरण पर रोक लगेगी। अगर कोई संस्थान अतिरिक्त कमाई करता है तो उसे शिक्षा के विकास में खर्च करना होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित ऑडिट रिपोर्ट 21 जुलाई 2017 को जारी की गई जिसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकारें काफी फण्ड रिटेन करके रखा हुआ है अर्थात् व्यय किया ही नहीं है जो कि शिक्षा पर खर्च होना चाहिए था, जो कि एक कमजोर वित्तीय नियंत्रण को बताता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 35 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश 6 वर्षों में 12,259 से 17,282 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं कर पाए। स्कूल शिक्षा का बजट कम होता जा रहा है। 2014-15 में यह बजट 55,115 करोड़ रुपए था। वर्ष 2016-17 में यह 43,554 करोड़ रुपए हो गया। परन्तु 2019-20 में यह राशि 56,536 करोड़ रुपए हो गया। उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा जो खर्च किया रहा है उसे अधिक तार्किक एवं लक्ष्य केन्द्रित बनाने की जरूरत है। शिक्षा में सुधार के लिए यह भी जरूरी है कि शिक्षकों को पर्याप्त



प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षा का अधिक नीजिकरण नहीं करना चाहिए अन्यथा वह एक व्यवसाय बन जाती है जिसका समाज सेवा से कोई सरोकार नहीं होता। शिक्षा में तकनीक अधिक भूमिका निभा रहा है। उपस्थिति से लेकर पढ़ाने एवं सिखाने का काम भी अब तकनीक के माध्यम से किया जाने लगा है। शिक्षा का क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर किया गया विनियोग कभी भी बेकार नहीं जाता। शिक्षा में बार-बार नवीन परिवर्तन करने की बजाए मौजूदा योजनाओं को ही सही व्यवस्था एवं तरीकों से लागू करना चाहिए। गरीब और वंचित वर्गों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

आज भी देश में बिना मान्यता प्राप्त किए विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षकों और छात्रों का अनुपात बराबर नहीं है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। ये वे आवश्यक विषय हैं जिन पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आज तकनीकी शिक्षा में विज्ञान और इंटरनेट सम्बन्धी विषय अंग्रेजी में ही होते हैं। जिनका हिंदीकरण किया जाना आसान कार्य नहीं है। ऐसी दशा में यदि हमारा पूरा फोकस हिन्दी, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं पर रहेगा तो देश में रोजगार के अवसरों में कमी होगी और हम तकनीकी और आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ जाएंगे। एक कल्याणकारी देश की उन्नति एवं उन्नत भविष्य के लिए युवाओं को ऐसी शिक्षा देने की नीति होनी चाहिए कि वे भावी परिवर्तनों में अपने आप को समायोजित करके अपना विकास कर सकें। इसके लिए सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति 2020 का इस प्रकार से क्रियान्वयन करना है कि सभी को विकास के उचित अवसर मिल सकें।

### **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा**

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए एनईपी 2020 की कल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करके छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना है।

इसके अलावा, देश में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी। देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक के रूप में परिकल्पित एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) की स्थापना की जाएगी। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (एचईसीआई) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे। सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और समान स्तर की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

इसके अलावा, विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, जैसे कि इंडोलॉजी, भारतीय भाषाएं, चिकित्सा की आयुष प्रणाली, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उससे आगे के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अवसर वैश्विक गुणवत्ता मानकों के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आवासीय सुविधाओं और परिसर में समर्थन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

### **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: उच्च शिक्षा में सुधार**

यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण में परिवर्तनकाल के लिए एक व्यापक ढांचा है। इस नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नई शिक्षा नीति को स्कूल स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक प्रणाली में औपचारिक परिवर्तनों को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, अब से शैक्षिक सामग्री प्रमुख अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान के कोणों पर ध्यान केंद्रित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह तथ्य कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति है, सरकार की एक सराहनीय पहल है। इससे छात्रों को अपने देश में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता का अनुभव करने में मदद मिलेगी। बहु-विषयक संस्थान शुरू करने की नीति कला, मानविकी जैसे सभी क्षेत्रों में नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी और शिक्षा के इस रूप से छात्रों को सीखने और समग्र रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी।

### **उच्च शिक्षा में प्रत्यायन**

उच्च शिक्षा के नियामक तंत्र में अन्य प्रमुख कार्यों के बीच एक स्वतंत्र निकाय द्वारा संचालित "मान्यता" होगी। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा, बशर्ते वे ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हों, अपनी पेशकशों को बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने, जीईआर बढ़ाने और आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए।

लर्निंग सर्विस प्रोवाइडर की विश्वसनीयता में सुधार के लिए प्रत्यायन योजना को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड, भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) के तहत विकसित किया गया है। प्रत्यायन गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करता है जैसे प्रशिक्षकधसंकाय, आधारभूत संरचनाय कार्यक्रम डिजाइन (विकास और वितरण)य प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (आयाम: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर स्कनवेयर) आदि।

### **उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार**



नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक सरकारी और निजी क्षेत्रों से उच्च अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करना है। इससे इनोवेशन और इनोवेटिव माइंडसेट को बढ़ावा मिलेगा। इसे सुगम बनाने के लिए उद्योग आधारित कौशल/ अपस्किलिंग/रीस्किलिंग के लिए एक मजबूत उद्योग प्रतिबद्धता और शिक्षा जगत के साथ घनिष्ठ हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

इसके अलावा, “बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)” के बारे में ज्ञान बढ़ाने और इससे लाभ प्रदान करने के लिए इसके संरक्षण के लिए कौशल को विकसित करना प्रासंगिक हो जाता है।

### साइबर सुरक्षा में शिक्षा और कौशल

विश्व आर्थिक मंच 2021 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ‘साइबर सुरक्षा विफलता’ दुनिया के लिए चौथा सबसे महत्वपूर्ण खतरा है। जैसा कि चल रही महामारी के कारण शिक्षा और अध्ययन पहले ही साइबर स्पेस में चली गई है, प्रत्येक व्यक्ति की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार, चूंकि डिजिटलीकरण को अपनाना केंद्र स्तर पर है, इसलिए हमारे नेटवर्क और साइबरस्पेस को सुरक्षित बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान परिदृश्य में, यह प्रासंगिक हो जाता है कि ‘साइबर सुरक्षा लचीलापन’ के लिए क्षमता निर्माण को प्रमुख महत्व दिया जाता है और सीखने की धारा के बावजूद उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है।

### राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ)

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित एनईटीएफ सही दिशा में एक कदम है। शिक्षण-शिक्षण वितरण के सभी आयामों में गुणवत्ता वाले एड-टेक उपकरण शैक्षणिक संस्थानों को जल्दी से अनुकूलित करने में मदद करेंगे। साइबर सुरक्षा मानकों का पालन करने, फायरवॉल को अपनाने और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम (आईडीएस) के अलावा ‘गोपनीयता और सुरक्षा’ सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित साइबर सुरक्षा लचीलेपन के साथ “ओपन-सोर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म” पर स्वदेशी एड-टेक टूल को होस्ट करने की आवश्यकता है। यह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करेगा।

### निष्कर्ष-

अंत में सम्पूर्ण प्रपत्र के अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा रटने वाले विषयों, समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कहीं अधिक है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को प्राप्त करना और उस क्षेत्र में निरंतर कार्य करना और प्रगति करना है, जिसमें व्यक्ति अपनी रुचि खोज की करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर नई शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हालाँकि इसके कुछ उद्देश्यों में लक्ष्यों की स्पष्टता का अभाव है, लेकिन हम वास्तव में इसका न्याय तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसकी लिखित योजनाएँ क्रिया में न आ जाएँ। हम केवल सर्वोत्तम

परिणामों की आशा कर सकते हैं, आखिरकार, यह छात्रों के समग्र विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए लाई गयी है।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची—

- बिरेंद्र सिंह एवं कुकन देवी, उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, आई0जे0आर0ए0आर0 पब्लिकेशन्स, 2022, वाल्यूम-9, इश्यू-1।
- सिंह दुर्गेश, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ठ संख्या 80-81
- प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउट लुक हिंदी, 24 अगस्त 2020
- प्रो. के. एल शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ठ संख्या 2, 24 अगस्त 2020
- प्रेम परिहार इन्टरनेशनल जर्नल आफ एप्लाइड रिसर्च, 2020, 6(9), पृ0 111
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- राजस्थान पत्रिका नागौर, 28 जनवरी 2020, सम्पादकीय पृष्ठ 42।
- तन्खा वरुण, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, राजस्थान पत्रिका नागौर, 26 अगस्त 2020, सम्पादकीय पृष्ठ 45!
- गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति, पृष्ठ संख्या 4, 22 अगस्त 2020